19/2017
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 19/2017 अनवानी प्रदीप दायमा पुत्र श्री जुगल किशोर निवासी वार्ड न0 6 पदमपुर रोड़, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A3

11—04—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रदीप दायमा उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से भ्रष्टाचार ब्यूरो के परिवाद संख्या 4283 के संबंध में 3 बिन्दुओ की सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे किसी प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है और जो जबाब दिया गया है, वह भी अधूरा है। इसलिए उसके द्वारा चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी को निशुल्क उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं उनके विरूद्ध सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रदीप दायमा ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः—

> कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 द्वारा आपको भेजे पत्र दिनांक 13.10.2016 के परिवाद एच—4283/16 के संबंध मेंः—
> 1. मूल शिकायत की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 2. आपके द्वारा की गई कार्यवाही अथवा प्रगति रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 3. रिकार्ड का निरीक्षण।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन 3197 दिनांक 10/17.03.2017 प्रस्तुत किया है कि आवेदक का आवेदन पत्र उन्हें दिनांक 09.02.17 को प्राप्त हुआ है जिसका बिन्दुवार प्रतिउत्तर प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्र दिनांक 16.02.2017 के द्वारा भिजवा दिया गया था। आवेदक द्वारा सूचना के संबंध में कोई राशि उनके कार्यालय में जमा नही करवाई गई है।

प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 2042 दिनांक 16.02.2017 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः—

आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का जवाब
1. मूल शिकायत की प्रमाणित प्रतिलिपि।	मूल शिकायत कार्यालय पत्रांक 10369 दिनांक 20.10.2016 से सचिव नगर विकास न्यास को भिजवाइ गई, जो उन द्वारा अपने पत्रांक 1267 दिनांक 08.11.2016 को आयुक्त नगरपरिषद श्रीगंगानगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा दी गई है। पत्राचार के 2 पेज है 4/—जमा करवाकर प्रति प्राप्त कर सकते है।
2. आपके द्वारा की गई कार्यवाही अथवा प्रगति रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि।	इस कार्यालय द्वारा आयुक्त नगरपरिषद को कार्यालय पत्रांक 11113 दिनांक 11.11.2016 से निर्देशित किया गया है कि आप प्रकरण में अपने स्तर पर कार्यवाही कर आवेदक को सूचित करे। पत्राचार का पेज है 2/— जमा करवाकर प्रति प्राप्त कर सकते है।
3. रिकार्ड का निरीक्षण।	कार्यालय पत्र व्यवहार का निरीक्षण आप किसी भी कार्यदिवस में आकर कार्यालय समय में कर सकते है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त 3 बिन्दुओ की सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया है कि बिन्दु सं0 1 की सूचना के संबंध में मूल शिकायत सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर को भिजवाई गई है जो उनके द्वारा आयुक्त, नगर परिषद श्रीगंगानगर को आवश्यक कार्यवाही के लिए भिजवाई गई है। पत्राचार के 2 पेज की सूचना के लिए अपीलार्थी को 4रूपये की राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा गया है एवं इसी प्रकार बिन्दु सं0 2 की सूचना के संबंध पत्र दि0 11.11.16 से आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर को अपने स्तर पर कार्यवाही कर आवेदक को सूचित करने के लिए लिखा गया है एवं पत्राचार के 1 पेज की सूचना के लिए 2रूपये की राशि जमा करवा कर सूचना प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी को लिखा है एवं बिन्दु सं0 3 की सूचना के संबंध में कार्यालय पत्र व्यवहार के रिकार्ड निरीक्षण के लिए कार्यदिवस में उपस्थित होकर कार्यालय समय में निरीक्षण करने के लिए लिखा है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील के संबंध में प्रस्तुत जबाब में अपीलार्थी द्वारा राशि जमा नही करवाना भी सूचित किया है, जो अपीलार्थी को राशि जमा करवा कर सूचना प्राप्त करनी चाहिए एवं कार्यालय पत्र व्यवहार के रिकार्ड का निरीक्षण करना चाहिए। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 16.02.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

चूंकि अपीलार्थी जिस शिकायत के संबंध में सूचना चाहता है वह शिकायत आयुक्त नगर परिषद, श्रीगंगानगर के कार्यालय में है। अपीलार्थी को अपने द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में आयुक्त नगर परिषद, श्रीगंगानगर के कार्यालय में चाराजोही करनी चाहिए।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर एवं अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर